

उत्तर प्रदेश शासन  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग  
संख्या- 754/2015/2058(11)/69-1-2015-14(59)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2015  
कार्यालय जाप

भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 30प्र0 सहित 05 राज्यों में स्लम में रहने वाले लोगों के लिए जापानी इन्सैफ्लाइटिस (जे0ई0) तथा एक्यूट इन्सैफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) की रोकथाम के लिये वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक 2 वर्षों के लिये उत्तर प्रदेश के चयनित 10 जनपदों यथा आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर व सिद्धार्थनगर की 17 नगर निकायों की मलिन बस्तियों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश कार्यालय जाप संख्या- 744/2015/1793/69-1-2015-14(59)/2015, दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा निर्गत किया गया है।

2. उपरोक्त शासनादेश में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का गठन किया जाता है:-

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।	सदस्य
4.	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
5.	मुख्य अभियन्ता, नगर विकास विभाग	सदस्य
6.	नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
7.	निदेशक, सूडा (राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी)	सदस्य सचिव

(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।


संख्या- 754 /2015/2058(11)/69-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(क्रमशः पृष्ठ-2)

2. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं शरीरी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
5. मण्डलायुक्त, गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती।
6. जिलाधिकारी, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर व शिवदुर्गनगर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय।
8. मुख्य अभियन्ता, नगर विकास विभाग।
9. नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय।
10. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. संबंधित नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
13. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाइल।

आजा से,  
  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।